प्रपत्र - 2

परिशिष्ट

(देखिये नियम 6)

फार्म "क"

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग – 1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरा जाने के लिये)

1	परियोजना का विवरण		
(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	:	जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढुँगी के अन्तर्गत कोटाबाग क्षेत्र (गजारी) पाण्डेगॉव में गोलज्यू मन्दिर तक सी0 सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।
(ii)	1 : 50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्षाने वाला मैप।	:	संलग्न है।
(iii)	परियोजना की लागत।	:	0.50 लाख।
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	:	स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध होने के साथ सीधे ब्लॉक मुख्यालय से जुड़ जायेगे। वन पंचायत भूमि के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।
(v)	लागत लाभ विश्लेशण (संलग्न किए जाने के लिये)।	:	आवश्यकता नहीं है।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।	:	फल/सब्जियों का उत्पादन बढ़ेगा, मुर्गी पालन/पशु पालन में वृद्धि होगी। पर्यटन बढ़ेगा एवं अन्य छोटे–छोटे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।

2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देष्यवार विवरण।	:	**भूमि का प्रकार**	**कुल भूमि**
			वन पंचायत भूमि	0.360 है0
			कुल	0.360 हे0

3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	:	शून्य
(i)	परिवारों की संख्या।	:	शून्य
(ii)	अनुसूचित जाति/ जनजाति के परिवारों की संख्या।	:	शून्य
(iii)	पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)	:	शून्य
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हॉ/नही)	:	नहीं
5	प्रति पूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ – साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाय)	:	संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का व्यौरा।	:	संलग्न है।

दिनांक – 26-11-2024

स्थान – रामनगर

(इं0 रविन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
रामनगर (नैनीताल)

प्रपत्र - 2.1

भाग – 2

भाग – 2
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

7.	परियोजना / स्कीम का स्थान	
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	:
(ii)	जिला	:
(iii)	वन प्रभाग	:
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)।	:
(v)	वन भूमि की कानूनी स्थिति	:
(vi)	हरियाली का घनत्व	:
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई / जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ आर एल, एफ आर एल– 8 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल–4 मीटर भी संलग्न की जाय।	:
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	:
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	:
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का मार्ग है (यदि हॉ, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियॉ अनुबन्धित की जाए)	:
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्टि प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हां / तो तत्संबंधी व्यौरा दें।	:
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिश्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	:
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग – 1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	:
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोशी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	:

10 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा

(i) प्रतिकर वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार। :

(ii) प्रतिकर वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर / अवक्रमित वन क्षेत्र और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। :

(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढ़ांचा आदि। :

(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। :

(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाणपत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)। :

11 जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विषेशतः उपर्युक्त कॉलम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)। :

12 विभाग / जिला प्रोफाइल

(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र :

(ii) जिले का वन क्षेत्र :

(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र। :

(iv) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण :

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि। :

(ख) वनेतर भूमि परन :

(v) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति।

(क) वन भूमि पर :

(ख) वनेतर भूमि पर :

13 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेश सिफारिश। :

हस्ताक्षर

दिनांक :
स्थान :

नाम
सरकारी मोहर

प्रपत्र - 2.2

भाग–3

(संबधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

स्थल जहॉ की वन भूमि शामिल की गयी है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये परीक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे।

या संबंधित वन संरक्षक भाग–2 में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विषेष सिफारिष

हस्ताक्षर

नाम :

सरकारी मोहर

प्रपत्र - 2.3

भाग–4

अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

साथ प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग को विस्तृत निर्दिष्ट सिफारिषें:

तत्समय, संबधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट दी जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी भी दी जाये)

हस्ताक्षर

नाम :

सरकारी मोहर

प्रपत्र - 2.4

भाग–5

(वन विभाग के प्रभारी अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य
प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे
का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

राज्य सरकार की सिफारिष :

(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग या भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विषिष्ट टिप्पणी की जाये)

हस्ताक्षर

नाम :

सरकारी मोहर